न्यायालय– मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/जिला जज, चित्रकूट

उपस्थित– चन्द्रमौलि शुक्ल................एच0जे0एस0

मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका सं0– 01/70/2017

1. पूनम देवी उम्र 30 वर्ष पत्नी स्व0 श्री घनश्याम कुशवाहा
2. कु0 प्रियांशी कुशवाहा उम्र 12 वर्ष पुत्री स्व0 घनश्याम कुशवाहा
3. हिमांशु कुशवाहा उम्र 08 वर्ष पुत्र स्व0 घनश्याम कुशवाहा
4. दीपांशु कुशवाहा उम्र 06 वर्ष पुत्र स्व0 घनश्याम कुशवाहा समस्त नाबालिगान संरक्षिका मॉ पूनम कुशवाहा
5. शॉन्ति देवी उम्र 60 वर्ष पत्नी स्व0 महेशचन्द्र
6. श्यामचन्द्र उम्र 23 वर्ष पुत्र स्व0 महेशचन्द्र निवासीगण गायत्री नगर बबेरू रोड बॉदा।

................याचीगण

बनाम

1. विकास गुप्ता पुत्र रामबाबू गुप्ता निवासी लक्ष्मणपुरी बस स्टैण्ड कर्वी तहसील कर्वी जिला चित्रकूट।

....वाहन स्वामी

2. अवधेश प्रसाद यादव पुत्र जे0पी0 यादव निवासी बोदा बाग रीवॉ जिला रीवॉ, मध्य प्रदेश। ....वाहन चालक

3. चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये प्रबंधक पता –4 मैरी गोल्ड शनजाफ रोड लखनऊ।

........................विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत याचिका याचीगण की ओर से मोटर दुर्घटना में घनश्याम कुशवाहा उम्र 35 वर्ष की मृत्यु हो जाने के कारण विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 166/140 (2) मोटर वाहन अधिनियम प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में,याचीगण का कथन है कि उनके पति/पिता/पुत्र/भाई घनश्याम कुशवाहा दिनॉक 13.12.2016 को कर्वी से अपने साथी मुन्ना विश्वकर्मा के साथ मोटर साईकिल नं0– यू0पी0 90ई/7912 से शिवरामपुर की ओर जा रहे थे जिसे घनश्याम स्वयं चला रहा था। जैसे ही यह लोग कर्वी बॉदा राजमार्ग पर बेड़ी पुलिया के आगे सी0पी0 सिंह आवासीय विद्यालय पास मुख्य सड़क पर समय लगीाग 2.30 बजे दोपहर पहॅुचे कि सामने से बॉदा की ओर से आ रहे ट्रक नं0– यू0पी0 96ए/9358 के चालक तेजी व लापरवाही से ट्रक को एक वाहन से

ओवर टेक करते हुए गलत साइड में अपने दायें ओर ले आया। जब तक मृतक व उसका साथी मुन्ना विश्वकर्मा कुछ समझ पाते कि ट्रक की टक्कर घनश्याम कुशवाहा तथा उनकी मोटर साईकिल पर लगी जिससे दोनों गिर पड़े और घायल हो गये। जिला चिकित्सालय चित्रकूट में इलाज के दौरान घनश्याम कुशवाहा की दिनॉक 13.12.2016 को ही असामयिक मृत्यु हो गयी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कर्वी में याची सं0—6 श्यामचन्द्र ने लिखायी। मृतक 17—18 वर्ष पूर्व से उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन विद्युत वितरण खण्ड चित्रकूट में नौकरी करते थे तथा वर्तमान में विभागीय लाइन मैन पद पर कार्यरत थे। उन्हें जिले में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र न्यू कलेक्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गयी थी। 32000/—रूपये की आय होती थी। मृतक पिता की मृत्योपरान्त मृतक आश्रित में नौकरी प्राप्त की थी जिसके ऊपर परिवार में पत्नी, बच्चों, भाईयों सभी के प्रति जिम्मेदारी थी। मृतक दुर्घटना के समय 32000/—रूपये प्रतिमाह 3,84,000/—रूपये वार्षिक मिलता था तथा 25 वर्ष और नौकरी करके 96,00000/—रूपये कमाता। भविष्य की सम्भावनाओं को जोड़ते हुए कुल 144,00000/—रूपये की आय करते। याचीगण ने प्यार स्नेह, मानसिक कष्ट, तेरहवीं संस्कार आदि को मिलाकर 1,28,30,000/—रूपये मय 12 प्रतिशत ब्याज विपक्षीगण से दिलाये जाने की याचना की है।

विपक्षी सं0—1 व 2 क्रमशः वाहन स्वामी एवं चालक ने संयुक्त जवाबदावा 32ख प्रस्तुत करके याचिका के तथ्यों को अस्वीकार किया है तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि उनके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। दुर्घटना के समय विपक्षी सं0—2 जो अनुभवी चालक है, चला रहा था। वाहन विधितः विपक्षी सं0—3 से बीमित है। प्रार्थीगण को परेशान करने के लिए उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। दुर्घटना के समय समस्त प्रपत्र वाहन के वैध एवं प्रभावी थे अतः सम्पूर्ण प्रतिकर अंश के अदायगी की जिम्मेदारी विपक्षी बीमा कम्पनी की होगी। याचीगण द्वारा कही गयी घटना साबित होने की स्थिति में मृतक का तृतीय पक्षकार होने के कारण बीमा कम्पनी पालिसी शर्तो के उल्लंघन का बचाव नहीं ले सकती। चालक की योगदायी उपेक्षा के कारण दुर्घटना नहीं हुई।

विपक्षी सं0—3 चोला एम0एस0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने प्रतिवादपत्र 27ख प्रस्तुत करके याचिका के तथ्यों को अस्वीकार किया है तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि दुर्घटना के बारे में याचीगण अथवा वाहन स्वामी ने उसे कोई सूचना नहीं दी जिससे वह मौके की जॉच करवा सकती। याची और वाहन स्वामी ने बीमा कम्पनी को अॅधेरे में रखकर आपस में सॉठगॉठ करके झूॅठी दुर्घटना बनाकर बीमा कम्पनी से पैसा वसूलना चाहते हैं। याचिका में पालिसी का

विवरण नहीं दिया गया है जिससे उसे बीमा होना स्वीकार नहीं है। वाहन को बिना वैध लाईसेंस प्राप्त अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। मॉगी गयी प्रतिकर राशि अत्यधिक है। वाहन का संचालन बीमा शर्तो के विपरीत किया जा रहा था। कथित दुर्घटना मोटर साईकिल चालक की त्रुटि से हुई है और संयुक्त योगदायी उपेक्षा है। याचीगण यह सिद्ध करें कि कथित वाहन घटना के दिन बीमाकृत था और वैध लाईसेंसी चालक द्वारा बीमा शर्तो के अनुरूप चलाया जा रहा था।

उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दु बनाये गये—

1. क्या दिनॉक 13.12.2016 को समय 2.30 बजे दोपहर कर्वी बॉदा राष्ट्रीय राजमार्ग बेड़ी पुलिया के आगे सी0पी0 सिंह आवासीय विद्यालय के पास जब मृतक अपने साथी मुन्ना विश्वकर्मा के साथ मोटर साईकिल सं0— यू0पी0 90ई/7912 से जा रहा था कि वाहन ट्रक संख्या— यू0पी0 96ए/9358 के चालक द्वारा ओवर टेक करके तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मृतक की मोटर साईकिल में टक्कर मार दिया जिससे घनश्याम कुशवाहा को गम्भीर चोटें आयीं और उसकी मृत्यु हो गयी?

2. क्या कथित दुर्घटना दोनों वाहनों के चालकों की योगदायी उपेक्षा के कारण घटित हुई?

3. क्या ट्रक संख्या— यू0पी0 96ए/9358 के चालक के पास कथित दुर्घटना के समय वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी?

4. क्या दुर्घटना के समय ट्रक संख्या— यू0पी0 96ए/9358 विपक्षी सं0—3 चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से बीमित एवं बीमा शर्तो के अनुकूल चालित था?

5. क्या याचीगण कोई प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं? यदि हॉ तो कितना और किस पक्षकार से?

याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए0पी0डब्लू0—1 पूनम कुशवाहा एवं ए0पी0डब्लू0—2 सत्यनारायण के साक्षी शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्रलेखीय साक्ष्य में सूची 7ग1 से प्रथम सूचना रिपोर्ट 8ग1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट 9ग1, मृतक का चालन अनुज्ञप्ति 11ग1, वाहन संख्या— यू0पी0 96ए/9358 का पंजियन 12ग1, स्वस्थता प्रमाणपत्र 13ग1, बीमा प्रमाणपत्र 14ग1, चालन अनुज्ञप्ति 15ग1, याचीगण पूनम एवं श्यामचन्द्र के फोटो पहचानपत्र 16ग1/1 लगायत 16ग1/3,मृत्यु प्रमाणपत्र महेशचन्द्र कुशवाहा 17ग1, मोटर साईकिल का पंजियन प्रमाणपत्र 18ग1, मोटर साईकिल का बीमा 19ग1, सूची 39ग1 से सत्यापित आरोपपत्र, नक्शा नजरी, वेतन प्रमाणपत्र, मृतक की चालन अनुज्ञप्ति कागज संख्या— 39ग1/2 लगायत

39ग1 / 10, सूची 41ग1 से मूल वेतन प्रमाणपत्र 41ग1 / 2 दाखिल किये गये हैं।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विपक्षी सं0—2 अवधेश प्रसाद को ओ0पी0 डब्लू0—1 के रूप में परीक्षित कराया गया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में सूची 33ग1 से वाहन का पंजियन, टैक्स रसीद, स्वस्थता प्रमाणपत्र, मालयान परमिट, चालन अनुज्ञप्ति, बीमा प्रमाणपत्र कागज संख्या— 33ग1 / 2 लगायत 33ग1 / 7 दाखिल किये गये हैं।

बीमा कम्पनी की ओर से कोई मौखिक या प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा अभिलेख का परिशीलन किया है।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या—1 एवं 2

याचीगण का कथन है कि उनके पति / पिता / पुत्र / भाई घनश्याम कुशवाहा दिनॉक 13.12.2016 को कर्वी से अपने साथी मुन्ना विश्वकर्मा के साथ मोटर साईकिल नं0— यू0पी0 90ई / 7912 से शिवरामपुर की ओर जा रहे थे जिसे घनश्याम स्वयं चला रहा था। जैसे ही यह लोग कर्वी बॉदा राजमार्ग पर बेड़ी पुलिया के आगे सी0पी0 सिंह आवासीय विद्यालय पास मुख्य सड़क पर समय लगीाग 2.30 बजे दोपहर पहुॅचे कि सामने से बॉदा की ओर से आ रहे ट्रक नं0— यू0पी0 96ए / 9358 के चालक तेजी व लापरवाही से ट्रक को एक वाहन से ओवर टेक करते हुए गलत साइड में अपने दायें ओर ले आया। जब तक मृतक व उसका साथी मुन्ना विश्वकर्मा कुछ समझ पाते कि ट्रक की टक्कर घनश्याम कुशवाहा तथा उनकी मोटर साईकिल पर लगी जिससे दोनों गिर पड़े और घायल हो गये। जिला चिकित्सालय चित्रकूट में इलाज के दौरान घनश्याम कुशवाहा की दिनॉक 13.12.2016 को ही असामयिक मृत्यु हो गयी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कर्वी में याची सं0—6 श्यामचन्द्र ने लिखायी।

ए0पी0डब्लू0—1 श्रीमती पूनम कुशवाहा ने अपने शपथपत्र में याचिका के तथ्यों का समर्थन किया है। प्रति परीक्षण में इस साक्षी का कथन है कि दुर्घटना हुए 4—5 महीना हो गया है। दुर्घटना की सूचना उन्हें विभाग के किसी व्यक्ति से फोन से मिली थी। मोटर साईकिल उसके पति चला रहे थे। यह बात घटना देखने वाले सत्यनारायन ने अस्पताल में बतायी थी। उसके पति विद्युत विभाग में 17—18 वर्ष से नौकरी कर रहे थे, परमानेन्ट थे। घटना की सूचना उसके देवर ने लिखायी थी। उसने स्वयं कोई घटना नहीं देखी। उसके ससुर महेशचन्द्र की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर पति घनश्याम को नौकरी मिल गयी थी। पति की

मृत्यु के बाद उसे अनुकम्पा में नौकरी नहीं मिली है। क्लेम का मुकदमा निर्णीत होने के बाद अनुकम्पा नौकरी के कागज प्रस्तुत करेगी। वह स्वयं घटनास्थल पर नहीं गयी। याचिका में घटना संबंधी तथ्य लिखाने व शपथपत्र में लिखाने सत्यनारायण ने सभी बातें बताकर लिखायी हैं। वह मुन्ना विश्वकर्मा को नहीं जानती। आजतक कोई बात नहीं की। सत्यनारायण से उसकी मुलाकात अभी तक 2—3 बार हो चुकी है। कब हुई, नहीं बता सकती। मुन्ना विश्वकर्मा जो मृतक घनश्याम के पास बैठे थे उनसे कोई जानकारी घटना के बारे में प्राप्त नहीं की।

ए0पी0डब्लू0—2 सत्यनारायण ने अपने शपथपत्र में कथन किया है कि दिनॉक 13.12.2016 को वह कर्वी से अपने गॉव खुमानीपुरवा जा रहा था। आगे घनश्याम कुशवाहा व मुन्ना विश्वकर्मा एक साथ मोटर साईकिल से शिवरामपुर की ओर जा रहे थे जिसे घनश्याम स्वयं चला रहे थे। जैसे ही ये लोग कर्वी बॉदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेड़ी पुलिया के आगे सी0पी0 सिंह आवासीय विद्यालय के पास मुख्य सड़क पर समय लगभग 2.30 बजे दोपहर पहुॅचे कि वहॉ सामने बॉदा की ओर से आ रहे ट्रक संख्या— यू0पी0 96ए / 9358 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से अपने सामने जा रहे एक ट्रक को ओवर टेक करते हुए गलत साइड में अपने दॉये ले आया। जब तक घनश्याम कुशवाहा तथा उनके साथी मुन्ना विश्वकर्मा कुछ समझ पाते कि ट्रक की टक्कर घनश्याम कुशवाहा को लगी जिससे उन्हें प्राणघातक चोटें आयीं। वह घटनास्थल से 30—40 कदम पीछे था। एक अन्य व्यक्ति ने पुलिस व एम्बुलेन्स को सूचना दी। बाद में पता चला कि जिला चिकित्सालय चित्रकूट में इलाज के दौरान घनश्याम कुशवाहा की दिनॉक 13.12.2016 को ही असामयिक मृत्यु हो गयी। घटना की जानकारी उसने मृतक के भाई समेत अन्य रिश्तेदारों को भी दी थी।

ए0पी0डब्लू0—2 ने प्रति परीक्षण में कहा है कि वह जिस वाहन से जा रहा था उसका नम्बर यू0पी0 96 / 1577 था। वह वाहन से खुमानी पुरवा अपने गॉव जा रहा था। दुर्घटना बेड़ी पुलिया से आगे सी0पी0 सिंह आवासीय विद्यालय के सामने घटी है। दुर्घटना स्थान से वह करीब 30—40 कदम दूर था। यू0पी0 96ए / 9358 ट्रक टक्कर मारकर करीब दस कदम आगे जाकर रूका था तथा ड्राईवर ट्रक छोड़कर भाग गया था। दुर्घटना के संबंध में उसने शिवरामपुर चौकी में सूचना दिया था, इसके बाद चला गया था। घटना के पहले मृतक व उसके साथ बैठे व्यक्ति को नहीं जानता था। मृतक व उसके पीछे बैठे व्यक्ति का नाम उसे सरकारी अस्पताल में उसके रिश्तेदारों ने बताया था। दुर्घटना के बाद वह शिवरामपुर चौकी गया, उसके बाद अपने गॉव चला गया। बॉदा की ओर से ट्रक

संख्या— यू0पी0 96ए/9358 आ रहा था। यह ट्रक आगे वाली गाड़ी को ओवर टेक कर रहा था। मोअर साईकिल वाला कर्वी से शिवरामपुर की तरफ जा रहा था। ट्रक यू0पी0 96/9358 जो ओवर टेक कर रहा था, इसी से दुर्घटना कारित की गयी। यह ट्रक आगे वाले ट्रक से आगे निकलने का प्रयास कर रहा था। मोटर साईकिल चालक अपने बॉयी साइड से जा रहा था। पीछे वाला ट्रक निकलकर आगे वाले ट्रक से निकलकर आगे नहीं आ पाया था। पीछे वाला ट्रक डामर रोड में था। मोटर साईकिल वाला डामर रोड पर बीचोबीच नहीं था बल्कि अपने बॉयी साइड में चल रहा था। दुर्घटना होने के बाद पीछे वाला ट्रक यू0पी0 96ए/9358 रूक गया था। आगे वाला ट्रक घटना होने के बाद नहीं रूका था। घटना होने के बाद घटना वाले ट्रक का नम्बर यू0पी0 96ए/9358 उसने देखा था तथा चौकी में बता दिया था। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति उसका सहयोगी था जिसने पुलिस व एम्बुलेन्स को सूचना दी थी। यह कहना गलत है कि आगे जा रहे ट्रक जिससे दुर्घटना हुई, दुर्घटना करके भाग गया जिसका नम्बर वह देख नहीं पाया और पीछे आ रहा ट्रक रूक गया तो उसका नम्बर देखकर दुर्घटना करने की बात कह रहा है।

ओ0पी0डब्लू0—1 अवधेश प्रसाद जो आक्रामक वाहन का चालक है, ने अपने शपथपत्र में प्रतिवादपत्र के कथनों का समर्थन किया है। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण में कहा है कि घटना दिनॉक 13.12.2016 को वाहन संख्या— यू0पी0 96ए/9358 को चलाते हुए कबरई से रगौली गेट आ रहा था। उसने मोटर साईकिल व ट्रक की टक्कर को देखा जो टक्कर मारकर आगे निकल गयी। दुर्घटनास्थल के पीछे वह तथा उसकी ट्रक खड़ी थी, भीड व पुलिस भी आ गयी और उसे चौकी ले गये। उसने प्रकरण में जमानत करायी है। शिकायत उच्चाधिकारियों को नहीं की है, पुलिस को जुबानी बताया था। वह बॉदा की तरफ से कर्वी आ रहा था। घटना कारित करने वाला ट्रक घटनास्थल से 20—25 पीछे उसे ओवर टेक किया था। जैसे ही ट्रक ने उसके ट्रक को ओवर टेक किया वैसे ही सामने से आ रही मोटर साईकिल को टक्कर मारा और टक्कर मारते आगे निकल गया।

कथित दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्यामचन्द्र द्वारा इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनॉक 13.12.2016 को समय लगभग 14.30 बजे बेड़ी पुलिया तथा शिवरामपुर के बीच में सी0पी0 सिंह आवासीय विद्यालय के पास बॉदा से कर्वी की ओर आ रहे एक ट्रक सं0— यू0पी0 96ए/9358 ने मोटर साईकिल सं0— यू0पी0 90ई/7912 में टक्कर मार दी। मोटर साईकिल उसका बड़ा भाई घनश्याम चला रहा था। मोटर साईकिल पर दूसरा व्यक्ति मुन्ना विश्वकर्मा बैठा

हुआ था। ट्रक की टक्कर लगने से दोनों व्यक्ति नीचे गिर गये जिससे उसके भाई घनश्याम को सिर में गम्भीर चोटें आयीं, सिर से खून बहने लगा। वहॉ पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एम्बुलेन्स को बुलाकर जिला अस्पताल चित्रकूट में भर्ती कराया गया जहॉ पर इलाज के दौरान उसके भाई घनश्याम की मृत्यु हो गयी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट 9ग1 से स्पष्ट है कि मृतक घनश्याम की मृत्यु दुर्घटना में आयी चोटों के कारण हुई। पुलिस के विवेचक द्वारा विवेचना करके नक्शा नजरी 39ग1/8 तैयार किया। पुलिस द्वारा विवेचना के उपरोक्त अभियुक्त अवधेश प्रसाद यादव के वाहन संख्या— यू0पी0 96ए/9358 को दोषी पाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 279, 338, 304ए भा0दं0सं0 का आरोपपत्र प्रेषित किया। ओ0पी0डब्लू0—1 का मात्र मौखिक कथन है कि उसके वाहन से दुर्घटना न होकर दूसरे ओवर टेक करने वाले वाहन से हुई लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है और न ही विपक्षी के द्वारा उच्चाधिकारियों को कोई कार्यवाही ही की गयी जिससे उसके कथन की पुष्टि हो सकती। नक्शानजरी 39ग1/8 के अवलोकन से विदित होता है कि आक्रामक ट्रक मृतक की साइड घुसकर उसकी मोटर साईकिल में 'ए' स्थान पर टक्कर मारना दर्शित है जिसमें मृतक की कोई योगदायी उपेक्षा परिलक्षित नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचना से यह तथ्य स्पष्ट है कि दिनॉक 13.12.2016 को समय 2.30 बजे दोपहर कर्वी बॉदा राष्ट्रीय राजमार्ग बेडी पुलिया के आगे सी0पी0 सिंह आवासीय विद्यालय के पास जब मृतक अपने साथ मुन्ना विश्वकर्मा के साथ मोटर साईकिल सं0— यू0पी0 90ई/7912 से जा रहा था कि वाहन ट्रक संख्या— यू0पी0 96ए/9358 के चालक द्वारा ओवर टेक करके तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मृतक की मोटर साईकिल में टक्कर मार दिया जिससे घनश्याम कुशवाहा को गम्भीर चोटें आयीं और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।

वादबिन्दु संख्या—1 एवं 2 तद्नुसार निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वादबिन्दु संख्या—3 एवं 4</u>

ये दोनों वादबिन्दु क्रमशः वाहन के चालक के पास वैध लाईसेंस होने, वाहन के विधितः बीमित होने व बीमा शर्तो के अनुकूल चलाये जाने के संबंध में हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। सुविधा की दृष्टि से वादबिन्दु संख्या— 3 व 4 को निस्तारण हेतु एक साथ लिया जा रहा है।

वाहन स्वामी की ओर से पंजियन प्रमाणपत्र 33ग1/2 ट्रक संख्या— यू0पी0 96ए/9358 विकास गुप्ता के नाम से निर्गत है जो ए0आर0टी0ओ0 चित्रकूट द्वारा सत्यापित प्रति दिनॉकित 22.12.2016 है। टैक्स रसीद 33ग1/3 जिसमें हैवी गुड्स विहिकल का टैक्स 01 अक्टूबर 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक जमा है।

स्वस्थता प्रमाणपत्र दिनॉक 07 मई 2016 से 06 मई 2017 तक वैध है। माल यान परमिट भी दिनॉक 31 अक्टूबर 2013 से 30 अक्टूबर 2018 तक वैध है। चालन अनुज्ञप्ति 33ग1/6 अवधेश प्रसाद यादव छायाप्रति है जो दिनॉक 06.08.2014 को मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत है । चालन अनुज्ञप्ति दिनॉक 05.08.2017 तक ट्रान्सपोर्ट विहि्कल चलाने के लिए वैध है। बीमा प्रमाणपत्र 33ग1/7 जो गाडी नं0– यू0पी0 96ए/9358 विकास बाबू गुप्ता के नाम से दिनॉक 09.06.2016 से 08.06.2017 तक वैध एवं प्रभावी है। अभिलेखों के संबंध में बीमा कम्पनी की ओर से कोई प्रतिवाद नहीं किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि दुर्घटना के समय आक्रामक वाहन के कागजात वैध थे तथा इसका परिवहन बीमा की शर्तो के अनुकूल हो रहा था।

वादबिन्दु संख्या–3 व 4 तद्नुसार निर्णीत किये जाते हैं।

निस्तारण वादबिन्दु संख्या–5

इस वादबिन्दु में इस तथ्य का निर्धारण किया जाता है कि क्या याचीगण कोई प्रतिकर पाने के अधिकारी है, यदि हॉ तो कितना और किस पक्षकार से? ऊपर की विवेचना से यह तथ्य स्पष्ट है कि कथित दुर्घटना ट्रक संख्या– यू0पी0 96ए/9358 के चालक ने आगे वाले दूसरे ट्रक को ओवर टेक करने पर मृतक की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी जिससे उसे गम्भीर चोटें आयीं और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी। वादबिन्दु संख्या– 3 एवं 4 की विवेचना में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कथित दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन के सभी कागजात वैध एवं प्रभावी थे तथा इसका संचालन बीमा शर्तो के अनुकूल किया जा रहा था, ऐसी स्थिति में प्रतिकर की अदायगी का दायित्व विपक्षी संख्या–3 चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी का होगा।

मृतक की कमी को पूरा किया जाना सम्भव नहीं है, यह परिवार एवं समाज की अपूर्णीय क्षति है जिसे किसी भी धनराशि से प्रतिपूरित नहीं किया जा सकता। मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिका लाभ के साधन के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती और न ही ऐसी वॉछित धनराशि का प्रदत्त किया जाना औचित्यपूर्ण है। वस्तुतः विधायिका की मंशा मृतक व्यक्ति के आश्रितों को आर्थिक मदद प्रतिकर के रूप में देकर विषम परिस्थितियों से उनके परिवार को बचाने का एक सामाजिक एवं न्यायिक प्रयास है।

मेरा ध्यान याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा 2008 (1) एसीसीडी1 (एस0सी0) नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम इन्दिरा श्रीवास्तव एवं अन्य की तरफ आकृष्ट किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम

1988 की धारा 168 का विवेचन करते हुए प्रतिकर के निर्धारण करने हेतु मृत कर्मचारी को उसके नियोजक द्वारा परिलब्धियों के रूप में भुगतान की जाने वाली अपेक्षित धनराशि को उसकी मासिक आय की संगणना के लिए शामिल किये जाने की अपेक्षा की। इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय का अभिमत है कि आय की उक्त धनराशि से उसपर संदेय कर की विधिक धनराशि की कटौती की जानी चाहिए।

बीमा कम्पनी की ओर से मेरा ध्यान 2013 (2) एसीसीडी 1005 इलाहाबाद श्रीमती ओमवती एवं अन्य बनाम जितेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि जहॉ मृतक के वेतन प्रमाणपत्र को सिद्ध नहीं किया गया हो, अपीलार्थी तथ्य को सिद्ध नहीं कर सके हैं कि मृतक को 5,325/—रूपये प्रतिमाह की दर से वेतन प्राप्त होता हो, कृषि कार्य से मृतक को अलग से 500/—रूपये प्रतिमाह मिलता हो और अधिकरण ने विद्यमान परिस्थितियों में 15,000/—रूपये प्रतिमाह की काल्पनिक आय को मानते हुए निजी रहन सहन के 1/3 भाग की कटौती करते हुए 2/3 भाग आय के आधार पर प्रतिकर का आगणन किया हो, 13 का गुणक प्रयुक्त करते हुए अधिकरण का प्रतिकर ऑगणन उचित माना जायेगा, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब मृतक के पुत्र को लोक निर्माण विभाग ने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है।

बीमा कम्पनी द्वारा मेरा ध्यान पुनः 2013 (4) एसीसीडी 2213 (इलाहाबाद) श्रीमती नीलम सिंह एवं अन्य बनाम राम सिंह एवं अन्य की तरफ आकृष्ट किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 173 एवं 168 का विवेचन करते हुए प्रतिकर की अभिवृद्धि हेतु की गयी अपील में यह अवधारित किया गया कि जहॉ मृतक की आयु 3000/—रूपये प्रतिमाह काल्पनिक आय ऑकलित की गयी हो और 1/3 भाग व्यक्तिगत खर्च की कटौती को काटकर 2/3 भाग में 18 का गुणक प्रयुक्त किया गया हो, 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2,20,750/—रूपये उचित धनराशि मानी जायेगी।

उपर्युक्त दोनों निर्णय जिनकी तरफ बीमा कम्पनी द्वारा मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया, ये उस प्रकरण से संबंधित हैं जहॉ मृतक की कोई निश्चित आय नहीं थी और अनुमानित आय 3000/—रूपये प्रतिमाह के आधार पर प्रतिकर का ऑगणन किया गया था। इस प्रकरण की परिस्थितियॉ भिन्न है और मृतक एक राजकीय सेवाकर्मी है जिसको वेतन प्राप्त होता था और वेतन का प्रमाणपत्र उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बीमा कम्पनी का यह कथन कि वेतन प्रमाणपत्र साबित नहीं है। इस तरह के वाद में जहॉ मृतक वेतनभोगी हो और वेतन का

प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो, साक्ष्य में प्रतिकर निर्धारण हेतु विश्वसनीय माना जायेगा जब तक कि कोई प्रतिकूल साक्ष्य विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत न की जाये।

प्रस्तुत वेतन प्रमाणपत्र सब डिविजनल आफिस विद्युत वितरण उपखण्ड प्रथम कर्वी चित्रकूट द्वारा प्रदत्त किया गया है जिसमें दिसम्बर 2015 से नवम्बर 2016 तक के आहरित वेतन का पूर्ण विवरण है जिसमें मूल वेतन, ग्रेड पे, देय वेतन भत्ता आदि समस्त तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए देय वेतन का स्पष्ट उल्लेख है। इसी आशय का एक प्रमाणपत्र पृथक से भी प्रस्तुत है जो अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चित्रकूट द्वारा प्रदत्त है जिसमें इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि मृतक घनश्याम पुत्र महेशचन्द्र, विद्युत वितरण उपखण्ड प्रथम कर्वी में लाइन मैन के पद पर उनका अधीनस्थ था जिसकी नियुक्ति 15.09.99 को हुई थी। उसके अन्तिम वेतन 01.12.2016 से 13.12.2016 (13 दिवस का) वेतन के अन्तिम भुगतान का विवरण प्रस्तुत है। पूर्व प्रस्तुत अभिलेख में नवम्बर 2016 का कुल वेतन 30,290/—रूपये दर्शित किया गया है जिसमें कटौतियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है लेकिन जो माह दिसम्बर का वेतन 12.05.2017 को निर्गत हुआ है, उसके अवलोकन से विदित होता है कि मृतक की मासिक आय मृत्यु माह में ऑगणित रूपये 30,440/—रूपये थी और सकल देय धनराशि कटौतियों के पश्चात 21,428/—रूपये होती थी जिसमें जी0पी0एफ0 के रूप में जी0पी0एफ0 2000/—रूपये, एल0आई0सी0 5,186/—रूपये, बैंक लोन 1400/—रूपये, विद्युत कटौती 426/—रूपये कुल कटौती 9,012/—रूपये दर्शित है।

2014 (2) ए0सी0सी0डी0 975 एस0सी0 मनस्वी जैन बनाम दिल्ली परिवहन निगम लिमिटेड एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 व 168 का सम्यक विवेचन करते हुए यह अवधारित किया गया कि मृतक की विशुद्ध मासिक आय निर्धारित किये जाने के प्रयोजनार्थ ऐच्छिक अंशदान की धनराशि जो मृतक द्वारा सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की गयी, वह धनराशि भी मृतक द्वारा अपने परिवार के कल्याण के लिए स्वेच्छ्या अंशदान किया गया माना जायेगा और केवल आयकर के लिए की गयी कटौती की धनराशि को प्रतिकर ऑगणन हेतु वेतन की सकल धनराशि से घटाया जायेगा। यही अवधारणा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्यामवती शर्मा बनाम करम सिंह (2010) 12 एस0सी0सी0 378 में व्यक्त की गयी थी कि आयकर के लिए अंशदान के सिवाय मृतक द्वारा किये गये ऐच्छिक अंशदान जो बचत की प्रकृति के हैं, मृतक के वेतन से उसके विशुद्ध वेतन तथा घर ले जाने वाले वेतन को निर्धारित करने के लिए कम नहीं किये जा सकते हैं।

स्पष्टतः मृतक की आय को अभिनिश्चित करते समय सामान्य भविष्य निधि,

जीवन बीमा प्रीमियम, ऋणों के प्रतिसंदाय आदि के लिए कटौतियों के लिए वेतन प्रमाणपत्र में दर्शित कटौतियों को आय से अपवर्जित नहीं किया जाना चाहिए। ॲकेले आयकर/अधिभार के लिए कटौती को मृतक की विशुद्ध आय पर पहुॅचने हेतु विचार किया जाना चाहिए।

2009 (II) दु0मु0प्र0 161 सु0को0 श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आश्रितता की क्षति का निर्धारण करने हेतु मृत्यु के प्रकरण में यह अवधारणा व्यक्त की कि दावाकर्तागण को तीन मूल तथ्यों को स्थापित करना होगा। पहला– मृतक की आयु दूसरा मृतक की आय एवं तीसरा आश्रितों की संख्या अर्थात समरूपता तथा संगतता कायम रखने हेतु अधिकरण को तीन स्तरों का अनुसरण करना होगा, गुण्य का निर्धारण, गुणक का निर्धारण और तत्पश्चात आश्रितता की वास्तविक परिगणना।

इस प्रकरण में मृतक की आय विवादित नहीं है। मृतक सेवाकर्मी है। उसके द्वारा प्रस्तुत वेतन प्रमाणपत्र केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि बीमा कम्पनी द्वारा उसे अस्वीकार किया गया है। कोई भी प्रतिकूल साक्ष्य बीमा कम्पनी या शेष विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं है कि मृतक विद्युत विभाग में लाइन मैन के पद पर कार्यरत नहीं था अथवा वह वेतन प्राप्त नहीं होता था जो प्रमाणपत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतएव मृतक की आय, आयु तथा याचिका में दर्शित याचीगण की आश्रितता का कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। अतएव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अनुरूप प्रतिकर का ऑकलन किया जाना अभीष्ट है।

मृतक का वेतन प्रमाणपत्र 45ग1/2 में दिसम्बर 2015 से नवम्बर 2016 तक का वेतन विवरण प्रस्तुत है। माह नवम्बर 2016 का कुल वेतन 30,290/–रूपये है जो वार्षिक 3,63,480/–रूपये होता है।

मृतक शादीशुदा व्यक्ति था जिसकी पत्नी, नाबालिग बच्चे, भाई व बूढी मॉ हैं। जहॉ तक मृतक के वैयक्तिक और निर्वाह व्ययों की कटौती का प्रश्न है तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 एवं (ग्यारहवॉ संशोधन) नियमावली 2011 के नियम 220क के परन्तुक (2) के (दो) में यह व्यवस्था दी गयी है कि किसी विवाहित मृतक व्यक्ति के वैयक्तिक और निर्वाह व्ययों के निमित्त कटौती एक तिहाई होगी जहॉ आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या दो से तीन तक हो। जहॉ आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या चार से छः तक हो वहॉ 1/4 होगी और जहॉ आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या छः से अधिक हो वहॉ 1/5 होगी। उक्त नियम 220ए के उपनियम 3 के अनुसार मृतक की सम्भावित

प्रत्याशाओं को मृतक के वास्तविक वेतन या न्यूनतम मजदूरी में नियमानुसार जोड दिया जायेगा—

1. 40 वर्ष की आयु से कम— वेतन का 50 प्रतिशत
2. 40—50 वर्ष की आयु के मध्य— वेतन का 30 प्रतिशत
3. 50 वर्ष की आयु से अधिक— वेतन का 20 प्रतिशत
4. जब मजदूरी पर्याप्त रूप से प्रमाणित न हो तब मुद्रा स्फीति और मूल्य सूचकॉक के साथ 50 प्रतिशत।

प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियम के अनुसार मृतक की सम्भावित प्रत्याशाओं को मृतक के वेतन में 50 प्रतिशत जोडा जायेगा। प्रस्तुत याचिका में मृतक के आश्रितों में पत्नी, तीन नाबालिग बच्चे और मृतक की माता व भाई कुल 6 आश्रित हैं जो विधितः सहीं हैं, अतएव मृतक के स्वयं के खर्च के लिए उसकी आय का 1/4 भाग ही घटाया जायेगा।

1. मृतक की आय 30,290/—रूपये प्रतिमाह

2. 50 प्रतिशत की भविष्य की प्रत्याशित सम्भावनाओं सहित 30,290+15145= 45,435/— रूपये प्रतिमाह।

3. 1/4 व्यक्तिगत खर्चे के रूप में कटौती 45,435—11359 = 34,076/— रू0 प्रतिमाह।

याचीगण की ओर से मृतक घनश्याम कुशवाहा की आयु के संबंध में कोई भी अभिलेख या शैक्षिक प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया है। याचिका में उसकी उम्र 35 वर्ष एवं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में भी 35 वर्ष दर्शित है। अन्य कोई जन्मतिथि का प्रमाणपत्र नहीं है, ऐसी स्थिति में मृतक की दुर्घटना के समय उम्र 35 से 40 वर्ष के मध्य माना जाना उचित प्रतीत होता है। 35 से 40 वर्ष के मध्य के मृतक के लिए मोटर वाहन अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के अनुसार 16 का गुणक दिया गया है। चूँकि याचीगण को क्षतिपूर्ति की धनराशि एकमुश्त दी जानी है, अतः 16 में दो कम करके 14 का गुणक लगाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मृतक की प्रतिमाह आय रूपया 34,076/— में 12 से गुणा करते हुए गुणॉक 14 प्रयुक्त करने पर मृतक पर याचीगण की निर्भरता की धनराशि रूपया 34,076 X 12 X 14 = 57,24,768/—रूपये होती है। मृतक की उक्त धनराशि पर आयकर मय उपकर मु0 15,88,702/—रूपये बनता है जिसकी कटौती करने पर वास्तविक क्षतिपूर्ति की आय 57,24,768— 15,88,702 = 41,36,066/—रूपये बनती है जिसे याचीगण आय की क्षति के लिए प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त याचिनी संख्या—1 श्रीमती पूनम देवी जो मृतक की विधवा पत्नी है उसे पति के सानिध्य एवं सहचर्य से वंचित रहने के मद में

5000/—रूपये, मृतक के नाबालिग बच्चों को पिता के स्नेह, प्यार व माता को पुत्र के स्नेह प्यार से वंचित रहने के मद में 5,000/—रूपये एवं अन्तिम संस्कार के लिए 5,000/—रूपये भी याचीगण क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

इस प्रकार याचीगण कुल 41,36,066 + 5,000 + 5,000 + 5,000= 41,51,066/— रूपये प्रतिकर पाने के अधिकारी है।

याचीगण ने प्रतिकर राशि पर याचिका की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की मॉग किया है जो अत्यधिक है। वर्तमान में प्रचलित बैंक ब्याज की दर को देखते हुए याचीगण को प्रतिकर राशि पर याचिका की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिलाना उचित होगा। परिणामस्वरूप याचीगण प्रतिकर राशि पर याचिका की तिथि से भुगतान की
तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के भी अधिकारी होगे।

याची सं0—1 श्रीमती पूनम देवी जो मृतक की विधवा है तथा उसके ऊपर नाबालिग बच्चों की शिक्षा दीक्षा, भरण पोषण का उत्तरदायित्व है, ऐसी स्थिति में उसे प्रतिकर धनराशि का ज्यादा भाग दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव याची सं0—1 श्रीमती पूनम देवी को प्रतिकर राशि का 50 प्रतिशत भाग देय होगा जिसमें से 25 प्रतिशत भाग उसे नकद तथा शेष 25 प्रतिशत भाग सावधि जमा योजना के अन्तर्गत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पॉच वर्ष की अवधि के लिए जमा किया जायेगा और परिपक्वता पर न्यायाधिकरण की अनुमति से आहरित किया जा सकेगा। याची सं0—2 कु0 प्रियांशी कुशवाहा उम्र 12 वर्ष, याची संख्या—3 हिमांशु कुशवाहा उम्र 8 वर्ष एवं याची संख्या—4 दीपांशु कुशवाहा उम्र 6 वर्ष जो मृतक के नाबालिग पुत्री व पुत्र हैं जिन्हें प्रतिकर राशि का 10—10 प्रतिशत भाग देय होगा तथा प्रत्येक के हिस्से की सम्पूर्ण प्रतिकर राशि उनके बालिग होने पर्यन्त सावधि जमा योजना के अन्तर्गत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जावेगी और परिपक्वता पर न्यायाधिकरण की अनुमति से आहरित की जा सकेगी। याची संख्या— 5 शान्ति देवी मृतक की मॉ व याची संख्या—6 श्यामचन्द्र मृतक का भाई है, इन दोनों याचीगण को प्रतिकर राशि का 10—10 प्रतिशत भाग देय होगा जिसमें से आधा—आधा भाग उन्हें नकद एवं शेष आधा—आधा भाग सावधि जमा योजना के अन्तर्गत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पॉच—पॉच वर्ष की अवधि के लिए जमा किया जावेगा और परिपक्वता पर न्यायाधिकरण की अनुमति से आहरित किया जा सकेगा।

विपक्षीगण दुर्घटना में लिप्त वाहन के वाहन स्वामी, चालक एवं बीमा

कम्पनी होने के कारण प्रतिकर देने के लिये संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से उत्तरदायी हैं। लेकिन प्रतिकर का वास्तविक भुगतान विपक्षी सं0—3 चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड करेगी, जैसा कि मोटर यान अधिनियम की धारा 149(1) में कहा गया है।

वादबिन्दु संख्या— 5 तद्नुसार निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचिका ऑशिक रूप से विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से याचीगण को इनसे 41,51,066/— रूपये (इकतालीस लाख इक्यावन हजार छाछट रूपये) प्रतिकर तथा इस पर याचिका की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिलाने हेतु स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं0—3 चोला मण्डलम एम0एस0 जनरल इंन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिकर राशि अवार्ड की तिथि से एक माह के अन्दर अधिकरण में जमा करे। प्रतिकर राशि जमा होने पर इसका वितरण अवार्ड में दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। यदि धारा 140 मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई अन्तरिम क्षतिपूर्ति याचीगण को दी गयी हो तो वह इस धनराशि में समायोजित की जायेगी।

दिनॉक—19.08.2017

(चन्द्रमौलि शुक्ल)
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/ जिला जज
चित्रकूट।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनॉकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनॉक— 19.08.2017

(चन्द्रमौलि शुक्ल)
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/ जिला जज
चित्रकूट।